लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल - 462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2026-27/ 620 भोपाल, दिनांक : 15/06/2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म.प्र.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
3. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल, मध्यप्रदेश।

विषय:-अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:-संचालनालय का पत्र क्र./रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/1582, दिनांक 15.05.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शासकीय विद्यालयों में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 से जारी करने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पूर्व सत्रों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है। अतः अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर पंजीकृत आवेदक जिनका मानदेय पोर्टल से जनरेट हुआ है, ऐसे आवेदक अनुभव क्लेम का दावा पोर्टल 3.0 से कर सकेंगे। अतः शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी निम्नानुसार संलग्न प्रक्रिया के अनुरूप अनुभव क्लेम सत्यापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

क्र.	कार्यवाही विवरण	कार्यवाही स्तर	समयसारणी
1	अनुभव प्रमाण पत्र हेतु अनुभव क्लेम का दावा करना।	आवेदक द्वारा	15.06.2026 से प्रारम्भ
2	अनुभव क्लेम का विद्यालयीन अभिलेख से मिलान कर सत्यापन करना।	शाला प्रभारी	
3	अनुभव क्लेम का मानदेय देयक से मिलान कर पोर्टल 3.0 पर सत्यापन करना।	संकुल प्राचार्य	
4	संकुल द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करना।	जिला शिक्षा अधिकारी	

अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाणित अभिलेख की छायाप्रति शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयीन अभिलेख में संधारित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(के.के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2026-27/ 621 भोपाल, दिनांक : 15/06/2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. महाप्रबंधक, निक्सी, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner